9/10/2019 पत्रावली पर कृत पत्रावली उपरान्त
गत आदेश की पालना पर
पत्रावली दिनांक 4/12/2019 को
पेश हो।

4/12/2019 पत्रावली पूर्व में अपीलार्थी एवं अपीलार
के अधिवक्ता को बार बार अवसर दिया
गया किन्तु अवसर प्रदान के उपरान्त
अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित अपीलार्थी
एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं
होने से अपील अपीलार्थी द्वारा अपनाये गये
कारण पत्रावली में पर्याप्त कारण नहीं है।
अपील पत्रावली में अपील
गत के लौटाया जावे। पत्रावली में पत्र
मूल कर रामावतार वकील के आदेश
सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर